कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,जिला-बडवानी

दूरभाष क्रमांक- 07290-222606, फेक्स- 07290-222606

Email – deobarwani@gmail.com

क्रमांक 2064/निर्वा/आउट सोर्स/2019 बड़वानी, दिनांक 16/08/2019

नवीन निविदा सूचना

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक 14/1/स्था./2009/विनिर्वा./160 भोपाल, दिनांक 07.06.2016 के अनुसार जिला निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों के लिये निम्नानुसार नवीन पद स्थाई रूप से निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है : -

क्र	कार्यालय के लिए स्वीकृत	सहायक प्रोग्रामर	डाटा एन्ट्री आपरेटर	भृत्य	वेतनमान	नियुक्ति का प्रकार
1	जिला निर्वाचन कार्यालय के लिए	01	02	01	कलेक्टर दर पर	आउट सोर्स
2	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय के लिए	04	08	0	कलेक्टर दर पर	आउट सोर्स
3	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय के लिए	0	04	0	कलेक्टर दर पर	आउट सोर्स
	कुल पदों की संख्या	05	14	01		

उपरोक्त स्वीकृत पदों पर आउट सोर्स से कर्मचारी प्रदाय करने हेतु भारत सरकार/मध्यप्रदेश शासन द्वारा पंजीकृत संस्थाओं से सीलबंद निविदाएं दिनांक 30.08.2019 दोपहर 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाएं दिनांक 30.08.2019 को सांय 4.00 बजे उपस्थिति निविदाकारों के समक्ष समिति के द्वारा खोली जावेगी। निविदा के आवेदन प्रपत्र एवं शर्ते आदि दिनांक 29.08.2019 तक कार्यालयीन दिवस में 11.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय (सामान्य) जिला बड़वानी के कार्यालय में रूपये 500.00 (रूपये पांच सौ) का चालान मांग संख्या 0070-अन्य प्रशासनिक सेवाऐं 02-निर्वाचन 101-निर्वाचन कार्य विवरणों की ब्रिकी 104-फीस जुर्माना प्राप्तियां 800 अन्य प्राप्तियां मद में या 500/- रूपये का कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत प्राप्त की जा सकती है। निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी जिले की वेबसाइड https://barwani.nic.in पर उपलब्ध है जहां से डाउनलोड की जा सकती है। नियत समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि का पूर्ण अधिकार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल को होगा।

(अमित तोमर)
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला – बड़वानी (म.प्र.)

पृ.क्रमांक 2065/निर्वा/आउट सोर्स/2019 बड़वानी, दिनांक 16/08/2019

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन, 17 अरेरा हिल्स भोपाल।
2. आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर।
3. आयुक्त जनसंपर्क, जनसंपर्क भवन बाणगंगा रोड़ भोपाल की ओर पांच अतिरिक्त प्रतियां सहित प्रदेश के समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

दूरभाष क्रमांक- 07290-222606, फेक्स- 07290-222606

Email – deobarwani@gmail.com

5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला बड़वानी।
6. अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 187-सेंधवा(अ.ज.जा.)188-राजपुर(अ.ज.जा.)189-पानसेमल(अ.ज.जा.)एवं190-बड़वानी(अ.ज.जा.)जिला-बड़वानी।
7. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी एन.आय.सी.जिला बड़वानी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसील पाटी/ बड़वानी/ अंजड़/ ठीकरी/ राजपुर/पानसेमल/निवाली/सेंधवा/वरला जिला-बड़वानी।
9. प्रबंधक, जिला ई-गर्वनेन्स जिला बड़वानी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सहायक संचालक जिला जनसंपर्क जिला बड़वानी की ओर समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित, साथ ही प्रकाशित समाचार पत्रों की प्रति उपलब्ध कराये जाने हेतु।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला – बड़वानी (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,जिला-बडवानी

दूरभाष क्रमांक- 07290-222606, फेक्स- 07290-222606
Email – deobarwani@gmail.com

आउट सोर्स से सहायक प्रोग्रामर/डाटा एन्ट्री आपरेटर/भृत्य की सेवाएं प्रदान करने हेतु पंजीकृत सेवा प्रदाता संस्थाओं के लिए निविदा शर्ते

आउट सोर्स हेतु निबंधन एवं शर्ते

1. सेवा प्रदाता संस्था को कार्यालय द्वारा प्रदाय किये गये निर्धारित प्रपत्र में ही निविदा समय सीमा में प्रस्तुत करना होगा।
2. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार स्वीकृत रिक्त पदों की पूर्ति कलेक्टरेट दर पर पृथक-पृथक कराना होगा।
3. पदों की संख्या की कमी या वृद्धि का पूर्ण अधिकार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल को रहेगा।
4. पदों की योग्यता निम्नानुसार होगी।

1	सहायक प्रोग्रामर	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.सी.ए./एम.एस.सी. (गणित सांख्यिकी/ इलेक्ट्रानिक्स विषय) की स्नातकोत्तर उपाधि के साथ पी.जी.डी.सी.ए. या किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिग महाविद्यालय से बी.ई (इलेक्ट्रानिक्स) में उपाधि परीक्षा उत्तीर्ण।
2	डाटा एन्ट्री आपरेटर	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के अंकों सहित स्नातक/ किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में न्यूनतम 1 वर्षीय अवधि का डिप्लोमा/प्रमाण डाटा एन्ट्री 10000 Key Depression प्रति घंटा की गति हो।
3	भृत्य	कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

5. सफल निविदाकार को उक्त पदों पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों को विधिवत नियुक्ति पत्र जारी करना होगा जिसके साथ शपथ-पत्र एवं पुलिस द्वारा किये गये सत्यापन की प्रति उपलब्ध करानी होगी। जिसके बिना उपलब्ध कराये गये कर्मचारी की नियुक्ति मान्य नहीं की जावेगी।
6. निविदाकार अपनी सीलबंद निविदाएं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी(सामान्य) जिला-बड़वानी में दिनांक 30.08.2019 को दोपहर 3.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है। नियत समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। प्राप्त निविदाऐं दिनांक 30.08.2019 को सांय 04.00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष समिति के द्वारा खोली जावेगी।
7. निविदाकार को निविदा के साथ रूपये 50000.00 (रूपये पचास हजार) मात्र की अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट (राष्ट्रीयकृत बैंक) निविदा के संलग्न जमा करना होगा। जो कि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के एक माह के अन्दर वापस कर दिया जावेगा।
8. जिन निविदाकारों की निविदा स्वीकृत नहीं होगी तो उन्हें अमानत की राशि वापस कर दी जावेगी।
9. सफल निविदाकार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला बड़वानी के प्ऱक्ष में आहरित 125000.00 रूपये (रूपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र) संविदा की अवधि को कवर करने वाली परफार्मेस सिक्युरिटी डिपाजिट जो किसी राष्ट्रीकृत बैंक गारंटी के रूप में हो,जमा करना होगा। बैंक गारंटी समय-समय पर नवीनीकृत कराना होगा।
10. सेवा प्रदाता संस्था के लिए अपेक्षित है कि निम्नांकित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें।

1. सेवा प्रदाता संस्था का पंजीयन प्रमाण-पत्र।
2. ईपीएफ रजिस्ट्रेषन पंजीयन की प्रति।
3. ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन पंजीयन की प्रति।
4. पेन कार्ड नम्बर।
5. आयकर विवरणी विगत तीन वर्षो की।
6. जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन।
7. विगत तीन वर्षो का टर्न ओवर सी.ए. द्वारा प्रमाणित।
8. विगत वर्षो में प्रदाय की गई सेवाओं संबंधी प्रमाण-पत्र।

उपरोक्त समस्त दस्तावेज निविदाकार द्वारा स्व प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है जिसके अभाव में दस्तावेज मान्य नहीं किया जावेगा।

11. किसी भी संस्था/एजेंसी का चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी(सामान्य) जिला बड़वानी के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा।
12. निविदाऐं स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-बड़वानी को होगा। इस संबंध में लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्व मान्य होगा।
13. निविदाकारों द्वारा आउटसोर्स कर्मचारी को जिला कार्यालय की कलेक्टर दर पर पृथक-पृथक पद हेतु कितनी-कितनी राशि की कटौती की जाना है एवं कितनी राशि कर्मचारी को दी जाना है इसका स्पष्ट उल्लेख निम्न प्रपत्र में देना होगा।

स.क्र.	प्रतिमाह वेतन का विवरण	सहायक प्रोग्रामर प्रतिमाह वेतन (रु.)	डाटा एन्ट्री आपरेटर प्रतिमाह वेतन (रु.)	भृत्य प्रतिमाह वेतन (रु.)
A	Gross Salary			
B	Statutory Liabilities			
	EPF Contribution 13.00%			
	ESIC Contribution 4.75%			
C	Manpower Carrying Cost (A+B)			
D	Service Charges 10% applicable on Manpower carrying cost			
E	Total Manpower Cost (C+D)			
F	Total salary per Manpower (C+D)			

- वेतन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से देय होगा। जो कि समय-समय पर परिवर्तनशील होगी।

14. सफल निविदाकार सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
15. सफल निविदाकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को जिला निर्वाचन कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करना होगी। जहां से पदस्थापना जिले के किसी भी अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय/तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में पदस्थ किया जा सकेगा जिसके लिए सभी कर्मचारी बाध्य होगा। एक बार पदस्थापना किये जाने के उपरांत उसमें परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
16. सफल निविदाकार द्वारा आउटसोर्स पदों पर उपलब्ध कराये गये सभी कर्मचारी नियमित नहीं माने जावेगे तथा उनकी सेवाऐं संतोषजनक न होने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बड़वानी द्वारा तत्काल पद से पृथक किया जा सकेगा। संबंधित कर्मचारी के द्वारा किसी भी प्रकार के दावे के लिए निविदाकार उत्तरदायी होगा।
17. सफल निविदाकार सेवा प्रदाता नियुक्त किये गये कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा भविष्य निधि और न्यूनतम मजदूरी के संबंध में साविधिक उपलब्धों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा। इस संबंध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
18. निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी ऐसे दस्तावेजों या सूचनाओं से अवगत होगे जो गोपनीयता की श्रेणी में आते है अतः उन्हें गोपनीयता की शपथ लेनी होगी और इस शर्त का उल्लंघन करने पर सेवा प्रदाता संस्था के साथ-साथ संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध सुसंगत उपबन्धों या भारतीय दण्ड संहिता, आपराधिक दण्ड संहिता के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही का भागी होगा। इस संबंध में सभी नियुक्त कर्मचारियों को लिखित प्रपत्र में शपथ देना होगा। जिसकी प्रति निविदाकार को इस कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
19. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों या स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा।
20. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा आउट सोर्स वाले पदों पर नियुक्त किये गये कर्मचारी नियमित नहीं माने जावेगे तथा कर्मचारी द्वारा इस प्रकार का कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जावेगा।
21. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के अधीन उनके निर्देशन में निर्वाचन का कार्य समय-सीमा में करना हेगा। यदि कोई कर्मचारी निर्देशों का उल्लंघन किसी भी प्रकार की लापरवाही करता है तो उसे तत्काल सेवा से पृथक कर दिया जावेगा, एवं उसके स्थान पर उन्हें तत्काल अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराना होगा।
22. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों के वेतन का भुगतान उनकी उपस्थिति के आधार पर ही प्रस्तुत देयक अनुसार ई-पेमेन्ट द्वारा किया जावेगा।
23. सफल निविदाकार द्वारा आउटसोर्स से उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों का वेतन सीधे उनके खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से भुगतान करना अनिवार्य होगा।
24. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों की सामान्य कार्य की अवधि प्रातः 10.30 बजे से 5.30 बजे तक होगी। इस संबंध में शासन के द्वारा निर्धारित समय में वृद्धि /कमी हो सकती है, जो नियमानुसार मान्य करना होगी। उन्हें आवश्यकतानुसार निर्वाचन कार्य हेतु अवकाश के दिवसों पर बुलाया जा सकता है अतएव वे किसी भी समय कार्य करने हेतु बाध्य होगे।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,जिला-बडवानी

दूरभाष क्रमांक- 07290-222606, फेक्स- 07290-222606

Email – deobarwani@gmail.com

25. सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराऐ गये कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित अवकाशों जिसमें आकस्मिक अवकाश भी सम्मिलित है की पात्रता नहीं होगी। अवकाश पर रहने की दशा में वेतन से तदानुसार कटौती की जावेगी।
26. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला बड़वानी/संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के अधीन कार्य करने वाले आउट सोर्स कर्मचारियों को दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य समयावधि में पूर्ण करना होगा यदि कोई कर्मचारी आदेशों की अवहेलना करता है/कार्य में लापरवाही करता है या बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहता है तो संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी तथा वेतन की कटौती की जावेगा।
27. निविदाकार संस्था द्वारा आउटसोर्स पर नियुक्त किये गये कर्मचारी को किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा तथा यदि कर्मचारी अपने कर्तव्य पर विलंब से उपस्थित होता है और कार्यालय से जल्दी चला जाता है तो उसके वेतन से कटौती की जावेगी।
28. निविदाकार संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों को सक्षम अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्ण पालन करना अनिवार्य होगा। यदि उनके द्वारा किसी भी अनुबंध एवं शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो निविदा की प्रतिभूति राशि शासन के प़क्ष में राजसात की जावेगी।
29. सभी अभिप्रायों और प्रयोजनों के लिए आउटसोर्स पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में विभिन्न श्रम कानूनों के अर्थो के अन्तर्गत सेवा प्रदाता "नियोक्ता" होगा तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला बड़वानी का आउट सोर्स पर नियुक्त कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होगा।
30. सेवा प्रदाता द्वारा आउटसोर्स पर नियुक्त कोई भी कर्मचारी को अपने कार्यो/कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान शारीरिक चोट लगने से हुई क्षति के लिए किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए निर्वाचन आयोग तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा।
31. सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त आउट सोर्स कर्मचारी शासन के नियमित कर्मचारियों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं भत्तों और वेतन के न तो हकदार होगे और न ही इसका कोई दावा कर सकेगे।
32. सफल निविदाकार को पॉंच सौ रूपये के स्टाम्प पेपर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला बड़वानी के पक्ष में अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा, जिसका व्यय सेवा प्रदाता संस्था द्वारा किया जावेगा।
33. सेवा प्रदाता संस्था की सेवाऐं संतोषजनक न होने अथवा अनियमित होने या समय पर कर्मचारी उपलब्ध न कराने की दशा में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला बड़वानी को यह अधिकार होगा कि वह एक माह का नोटिस देकर अनुबंध निरस्त कर सकेगा।
34. वित्तीय पत्रक में डी कॉलम में प्रतिशत का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में आपके द्वारा प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
35. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला बड़वानी के निर्णय के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकेगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला – बड़वानी (म.प्र.)